राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 12 APR 2022

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा	दौसा	दौसा
2	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3, ब्यावर	अजमेर	ब्यावर
3	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	अलवर	राजगढ
4	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	अलवर	तिजारा
5	अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, नागौर	नागौर (मेडता न्याय क्षेत्र)	नागौर
6	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पावटा	जयपुर जिला	पावटा
7	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,सलूम्बर	उदयपुर	सलूम्बर
8	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुरजगढ	झुंझुनूं	सुरजगढ
9	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू	टोंक	पीपलू
10	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाडा	जोधपुर जिला	बिलाडा

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा। साथ ही अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर का नाम परिवर्तित करते हुए अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, नागौर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/02/2022/ 646 Date: 19-4-22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the Concerned District & Sessions Judges.
3. All the Concerned Courts.
4. All the Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

19/04/2022
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 12 APR 2022

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 सपठित धारा 12 एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करते हुए पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन की तिथि से स्थापित करती हैः-

क्र.सं.	न्यायालय का पूर्व नाम	क्रमोन्नत न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू	नागौर (मेडता न्याय क्षेत्र)	लाडनू
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी	नागौर (मेडता न्याय क्षेत्र)	कुचामनसिटी
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी	हनुमानगढ	टिब्बी
5	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली	सवाईमाधोपुर	बौंली

राज्यपाल के आदेश से,

12-4-22

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/02/2022/ 647 Date: 19-4-22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the Concerned District & Sessions Judges.
3. All the Concerned Courts.
4. All the Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

19/04/2022

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 12 APR 2022

::अधिसूचना::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन व स्थापन करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	परिवारिक न्यायालय संख्या 2, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2	परिवारिक न्यायालय संख्या 2, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3	परिवारिक न्यायालय संख्या 3, उदयपुर	उदयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। साथ ही वर्तमान में कार्यरत पारिवारिक न्यायालय, भीलवाड़ा एवं पारिवारिक न्यायालय, श्रीगंगानगर का नाम परिवर्तित करते हुए क्रमशः पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, भीलवाड़ा एवं पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 श्रीगंगानगर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

22.4.22

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/02/2022/ 648 Date: 19-4-22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the Concerned District & Sessions Judges.
3. All the Concerned Courts.
4. All the Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

19/04/2022

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 12 APR 2022

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अलवर	अपर जिला न्यायाधीश, भिवाड़ी	भिवाड़ी
2	जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चुरू	अपर जिला न्यायाधीश, तारानगर	तारानगर
3	जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला न्यायाधीश, नोखा	नोखा

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सैशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

12.4.22

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/02/2022/ 649 Date: 19-4-22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the Concerned District & Sessions Judges.
3. All the Concerned Courts.
4. All the Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

19/04/2022

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 12 APR 2022

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेष, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, किशनगढबास	अलवर	किशनगढबास
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घडसाना	श्रीगंगानगर	घडसाना
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन	बाडमेर (बालोतरा न्याय क्षेत्र)	चौहटन

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा। साथ ही वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास का नाम परिवर्तित करते हुए अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 किशनगढबास किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/02/2022/ 650 Date: 19-4-22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the Concerned District & Sessions Judges.
3. All the Concerned Courts.
4. All the Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

19/04/2022

REGISTRAR (RULES)